न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 128/16 GCMS NO 2016/114

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर करौली

अपीलांट

बनाम

1. प्रेमराज पुत्र किशल्ली
2. बोदाराम
3. रामदयाल
4. गबदू
5. महेश पिसरान बुधराम
6. भौडी बेवा बुधराम
7. काडूराम
8. बत्तीलाल
9. श्रीमोहन
10. सुमेर पिसरान श्रीराम
11. सियाराम पुत्र किशल्ली
12. अन्नतराम पुत्र किशल्ली
13. फूलबाई बेवा किशल्ली सभी जातियान मीना निवासीयान किरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.08 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री हंसराम गुर्जर
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुनिल कुमार जिंदल

दिनांक 24.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.08 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 11 व अन्य के एक दावा घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात ख0न0 1260 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा ग्राम [illegible] मे स्थित है। जिनमे वादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/4 रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार है। आराजीयात ख0न0 1260 का सेटलमेंट कर्मचारियों ने नवीन ख0न0 2089 रकबा 47 ऐयर, 2090 रकबा 27 ऐयर , 2093 रकबा 12 ऐयर, 2094 रकबा 17 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 ही कायम किये गये है।। जबकि वादीगण का कुल रकबा 1.38 है0 कायम किया जाना चाहिए था। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मौके पर कुल रकबा 1.38 है0 पर भौतिक रूप से कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियो ने वादीगण की 35 ऐयर भूमि कम कर दी है। जिसका सेटलमेट को कोई अधिकार नही था। साबिक ख0न0 1260 के पूर्वी दिशा मे साबिक ख0न0 1261 चारागाह भूमि है। जिसका दौराने सेटलमेंट नवीन ख0न0 1291 रकबा 5 ऐयर , 1292 रकबा 16 ऐयर, 2095 रकबा 24 ऐयर, 2096 रकबा 11 ऐयर, 2098 रकबा 15 ऐयर, 2099 रकबा 24 ऐयर, 2097/2188 रकबा 16 ऐयर , 2100 रकबा 17 ऐयर, 2101 रकबा 37 ऐयर, 2102 रकबा 45 ऐयर, 2103 रकबा 30 ऐयर कायम किये है। सेटलमेंट कर्मचारियो ने अपनी गफलत से जानबूझकर वादीगण के कब्जे शुदा आराजी ख0न0 2091 रकबा 5 ऐयर, 2092 रकबा 16 ऐयर, 2095 रकबा 14 ऐयर को साबिक ख0न0 1261 चारागाह से गलत बनाकर चारागाह गलत दर्ज कर दिया। जबकि साबिक ख0न0 1260 से कायम किये जाने चाहिए थे। साबिक व हाल शीट के मिलान से स्पष्ट है। जिसे चारागाह से हजफ कर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय मे दुरूस्ती का दावा पेश करने की सलाह दी। जिसके बाबत प्रतिवादी तहसीलदार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया गया परन्तु उनके द्वारा रिकार्ड मे दुरूस्ती नही की गई। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 2091 रकबा 5 ऐयर, 2092 रकबा 16 ऐयर सम्पूर्ण तथा ख0न0 2095 रकबा 24 ऐयर मे से 14 ऐयर भूमि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है तथा इसी अनुरूप खातेदारी मे वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे तथा साबिक शीट के अनुसार नवीन शीट मे तरमीम की जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजीयात मे वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे जबरन बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित भूमि ख0न0 2091 रकबा 0.05 है0,2092 रकबा 0.16 है0, 2095 रकबा 0.24 है0, मे से रकबा 14 ऐयर ग्राम किरवाडा राजस्थान सरकार किस्म चारागाह भूमि है। यह भूमि गत ख0न0 1261 चारागाह भूमि से बने है। भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी सम्वत 2037-40 तक मे चारागाह दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-62 तक मे भी उक्त भूमि को गत ख0न0 1261 से दर्शाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद से आज तक चारागाह है। कानूनन चारागाह भूमि की खातेदारी नही दी जा सकती है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। प्रतिबंधित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी संख्या 2 बुधराम व 3 रामजी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अपील मे इनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट का जबाब दावा दिनांक 24.4.08 को बंद कर दिया गया तथा पत्रावली मे साक्ष्य वादी मे पत्रावली नियत कर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिनांक 24.4.08 को अपीलांट तहसीलदार राज्य कार्य प्रशासन व्यवस्था मे व्यस्त थे। इसलिए जबाब दावा पेश नही कर सके। इसके उपरान्त वादी की साक्ष्य दिनांक 16.5.08 को समाप्त हो गई तथा सीधे ही पत्रावली बहस मे नियत कर दी गई। जबकि कानूनन साक्ष्य प्रतिवादी को अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का जबाब दावा बंद करने तथा साक्ष्य का अवसर नही दिया जाना कानून की भूल है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही थी। जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात ख0न0 1260 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा ग्राम किरवाडा मे स्थित है। जिनमे रेस्पो/वादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। आराजीयात ख0न0 1260 का सेटलमेंट कर्मचारियो ने नवीन ख0न0 2089 रकबा 47 ऐयर, 2090 रकबा 27 ऐयर , 2093 रकबा 12 ऐयर, 2094 रकबा 17 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 ही कायम किये गये है।। जबकि रेस्पो/वादीगण का कुल रकबा 1.38 है0 कायम किया जाना चाहिए था। रेस्पो/वादीगण मौके पर कुल रकबा 1.38 है0 पर भौतिक रूप से कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियो ने वादीगण की 35 ऐयर भूमि कम कर दी है। जिसका सेटलमेट को कोई अधिकार नही था। साबिक ख0न0 1260 के पूर्वी दिशा मे साबिक ख0न0 1261 चारागाह भूमि है। जिसका दौराने सेटलमेंट नवीन ख0न0 1291 रकबा 5 ऐयर , 1292 रकबा 16 ऐयर, 2095 रकबा 24 ऐयर, 2096 रकबा 11 ऐयर, 2098 रकबा 15 ऐयर, 2099 रकबा 24 ऐयर, 2097/2188 रकबा 16 ऐयर , 2100 रकबा 17 ऐयर, 2101 रकबा 37 ऐयर, 2102 रकबा 45 ऐयर, 2103 रकबा 30 ऐयर कायम किये है। सेटलमेंट कर्मचारियो की गलती से रेस्पो/वादीगण के कब्जे शुदा आराजी ख0न0 2091 रकबा 5 ऐयर, 2092 रकबा 16 ऐयर, 2095 रकबा 14 ऐयर को साबिक ख0न0 1261 चारागाह से गलत बनाकर चारागाह गलत दर्ज कर दिया। जबकि साबिक ख0न0 1260 से कायम किये जाने चाहिए थे। साबिक व हाल शीट के मिलान से स्पष्ट है। जिसे चारागाह से हजफ कर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने की इस्तदुआ वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2037 से 40 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजीयात मुतजिका मद न0 1 वाद पत्र साबिक ख0न0 1260 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा ग्राम किरवाडा की खातेदारी वादीगण के पिता किशल्ली पुत्र गंगाविशन हिस्सा 1/4 एवं वादी संख्या 1 प्रेमराज पुत्र किशल्ली हिस्सा 3/4 के नाम दर्ज रिकार्ड होना पाया गया तथा इसी अनुसार नकल जमाबंदी सम्वत 2037–40 प्रदर्श 2 के अनुसार आराजी साबिक ख0न0 1261 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा ग्राम किरवाडा की खातेदारी चारागाह दर्ज रिकार्ड होना पाया गया। नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2043 से 62 प्रदर्श 3 के अनुसार साबिक ख0न0 1260 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा ग्राम किरवाडा को दौराने सेटलमेंट ख0न0 2089 रकबा 47 ऐयर, 2090 रकबा 27 ऐयर, 2093 रकबा 12 ऐयर , 2094 रकबा 17 ऐयर कुल रकबा 1.03 है0 कायम किया जाना पाया गया। तथा साबिक ख0न0 1261 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा से हाल ख0न0 2091 रकबा 5 ऐयर, 2092 रकबा 16 ऐयर , 2095 रकबा 24 ऐयर, 2096 रकबा 11 ऐयर, 2098 रकबा 15 ऐयर 2099 रकबा 24 ऐयर, 2097/2188 रकबा 16 ऐयर, 2100 रकबा 17 ऐयर, 2101 रकबा 37 ऐयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

2102 रकबा 45 ऐयर 2103 रकबा 30 ऐयर कायम किया जाना पाया गया तथा हाल ख0न0 2089,2090,2093,2094 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 की खातेदारी वादीगण संख्या 1 ता 6 हिस्सा 1/4 एवं वादी संख्या 1 प्रेमराज हिस्सा 3/4 के नाम दर्ज रिकार्ड होना पाया गया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात साबिक ख0न0 1261 से हाल ख0न0 2091,2092,2095 कुल रकबा 45 ऐयर को सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से मौके के विपरीत कायम किया जाना माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का भलिभांति अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी ख0न0 1260 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा ग्राम किरवाडा मे स्थित है। जिनमे वादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/4 के रिकार्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। आराजीयात ख0न0 1260 का सेटलमेंट कर्मचारियो ने नवीन ख0न0 2089 रकबा 47 ऐयर, 2090 रकबा 27 ऐयर , 2093 रकबा 12 ऐयर, 2094 रकबा 17 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 कायम किये है।। जो कि वादी का कुल रकबा 1.38 है0 के स्थान पर 35 ऐयर भूमि दर्ज की गई है। जबकि वादीगण का कुल रकबा 1.38 है0 कायम किया जाना चाहिए था। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियो ने वादीगण की 35 ऐयर भूमि कम कर दी है। वादी/रेस्पो0 की आराजी ख0न0 1260 मे से रकबा 35 ऐयर को आराजी ख0न0 1261 चारागाह मे दर्ज कर दिया गया तथा आराजी साबिक ख0न0 1261 के नवीन नम्बर 2100 रकबा 17 ऐयर, 2101 रकबा 37 ऐयर, 2102 रकबा 45 ऐयर एवं 2103 30 ऐयर की खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2061–64 प्रदर्श 4 मे अन्य खातेदार के नाम दर्ज है जो पूर्व मे चारागाह की भूमि रही है। इस प्रकार उक्त साबिक ख0न0 1261 से कायम किये गये ख0न0 2100,2101,2102 व 2103 की खातेदारी अन्य खातेदारो के नाम किस प्रकार से दर्ज हुई है। इसके बाबत स्पष्ट उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय ने नही किया है। आराजी साबिक ख0न0 1261 जो कि चारागाह भूमि थी जिसके सेटलमेट द्वारा नवीन ख0न0 2100,2101,2102 व 2103 कायम किये है जो प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 मे खातेदारी अन्य खातेदारो के नाम दर्ज रिकार्ड है। चूकिः उक्त भूमि ख0न0 2100,2101,2102 व 2103 चारागाह भूमि थी वह किसी खातेदारो के नाम किस आदेश के द्वारा दर्ज की गई है इसके संबंध मे कोई स्पष्ट उल्लेख निर्णय मे नही किया गया है। इस प्रकार वादी की खातेदारी की आराजीयात को सेटलमेट द्वारा चारागाह मे दर्ज किया गया है तथा चारागाह की भूमि को अन्य खातेदारो के नाम दर्ज किया गया है। जिससे वादी का रकबा चारागाह मे शामिल करते हुए चारागाह का रकबा अन्य खातेदारो के नाम दर्ज किस प्रकार से किया गया है। इसका स्पष्ट उल्लेख अपीलाधीन निर्णय मे नही है एवं जमाबंदी सन् 2061 के खातेदारो को भी वादीगण द्वारा दावे मे आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है। जो कि आवश्यक पक्षकार होने चाहिए थे। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.4.08 के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया एवं अपीलाट/प्रतिवादी का जबाब बंद किया गया है। जबकि अपीलांट/प्रतिवादी राज्य सरकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विभिन्न योजनाओ मे व्यस्त होने से एवं कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे समय पर जबाब पेश नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि विवादित आराजीयात मे राज्य सरकार का हित निहित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को जमाबंदी सम्वत 2061–64 मे दर्ज खातेदारो को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 14/2008 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2008 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2061–64 प्रदर्श 4 मे दर्ज खातेदारो को वाद मे आवश्यक पक्षकार बनाते हुए वादीगण की खातेदारी मे से कम किये गये रकबे एवं चारागाह भूमि की खातेदारी अन्य खातेदारो के नाम होने को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के यहॉ दिनांक 24.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:32 IST
Reason: SelfAttested